क्रम-संख्या—592

रजि0 नं0 एल. डब्ल्/एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्ल्0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 मार्च, 1989

फाल्गुन 23, 1910 शक संम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

सं0—484/सत्रह—वि—1-1 (क) 3-89

लखनऊ, 14 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 13 मार्च, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) धारा 2 दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त होगी, धारा 3 और 5 दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, धारा 4 दिनांक 7 जनवरी, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(झ) "सहकारी वर्ष" का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है ;"

धारा 29 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे ।

धारा 34 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"34-(1) यदि राज्य सरकार ने--

प्रबन्ध कमेटी में सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति

(क) अध्याय छः के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय छः में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति समझी जायगी ।"

धारा 35 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे ।

धारा 103 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति

7--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1988 और संख्या 1 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव ।

No. 484(2)/XVII-V-1—1(KA)-3-1989

Dated Lucknow, March 14, 1989

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 13, 1989.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1989

[U.P. Act no. 4 of 1989]

(*As passed by the U.P. Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1989.

(2) Section 2 shall come into force on April 1, 1989, sections 3 and 5 shall be deemed to have come into force on December 28, 1988, section 4 shall be deemed to have come into force on January 7, 1989 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 11 of 1966.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (i), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(i) "Co-operative Year" means the year commencing on the first day of April and ending on the thirty-first day of March next following;".

Amendment of section 29

3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (6) in the first proviso, *for* the word and figures "December 31, 1988" the word and figures "June 30, 1989" shall be *substituted*.

Substitution of section 34 of U.P. Act no. 11 of 1985

4. *For* section 34 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Nominees of the Government on the Committee of management.

"34. (1) Where the State Government has—

(*a*) subscribed directly to the share capital of a co-operative society under Chapter VI, or

(*b*) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VI, or

(*c*) given loans or made advances to a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of the interest on debentures issued by a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans or advances to a co-operative society

the State Government shall have the right to nominate on the Committee of management of such society not more than two persons one of whom shall be a Government servant, so, however, that the Government servant shall not vote at an election of an office bearer of the society.

(2) A person nominated under sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the State Government.

Explanation—For the purpose of this section any guarantee given by the Central Government on the recommendation of the State Government shall be deemed to be a guarantee given by the State Government."

Amendment of section 35

5. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, *for* the word and figures "December 31, 1988" the word and figures "June 30, 1989" shall be *substituted*.

Amendment of section 103

6. In section 103 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*a*), *for* the words "two hundred and fifty rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted*.

Repeal and saving

7. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1988 and the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1989, are hereby repealed. U. P. Ordinance no. 18 of 1988 and no. 1 of 1989.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinances, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस० यू० पी०—ए० पी० 203 सा० (विधि०)—(3827)—1989—850 (सेक०)।